सार-समाचार

राम दरबार की प्राण-प्रतिष्ठा आज

राजसमंद, (निसं)। जिला मुख्यालय पर 100 फीट रोड बालाजी नगर स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर पर आयोजित राम दरबार प्राण-प्रतिष्ठा एवं वार्षिक ध्वजा महोत्सव शनिवार को मूर्तियों की अधिवास विधि सहित अन्य अनुष्ठानों के साथ हर्षोल्लास से शुरू हुआ। यहां अगले तीन दिन विविध धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। शनिवार को दोपहर बाद आचार्य पं शशिकांत दीक्षित के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हुआ। इसके तहत विप्रजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं से स्प्रतिष्ठित की जाने वाली मूर्तियों की अधिवास विधि सम्पन्न कराई। इसमें जल, अन्न, पुष्प, फल आदि में मूर्तियों का अधिवास किया गया। इस अवसर पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी, प्रधान अरविंदसिंह राठौड, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश कुमावत, सुभाष पालीवाल, राजकुमार अग्रवाल, पूर्व पार्षद विजय कुमार जैन, हिम्मत मेहता, भगवानसिंह केलावत, ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजन समिति सदस्य दीपक सोनी ने बताया कि रविवार को भोर वेला में धार्मिक क्रियाएं शुरू होगी तथा हवन में पूर्णाहुति के बाद मुहूर्त अनुसार प्रातः 7:15 बजे वैदिक रीति से राम दरबार की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को प्रभु सेवा से जुडा ठाकुरजी पामणा का अनूठा धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिसके तहत राजनगर बडा मंदिर से भगवान चारभुजानाथ का आगमन होगा। शाम 5:15 बजे भगवान पालकी में विराजित होकर गाजे-बाजे के साथ ठाठ-बाट से रवाना होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए कार्यक्रम स्थल वीर हनुमान मंदिर आएंगे। प्रभु के आगमन पर विशेष सेवा-पूजा होगी एवं प्रभु को छप्पन भोग धराया जाकर दर्शन होंगे। इसके बाद रात्रि आठ बजे पं डॉ मिथलेश नागर के सान्निध्य में जागरण एवं सुन्दर कांड पाठ कार्यक्रम होगा।

एक गिरफ्तार, तलवार बरामद

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर छिप कर अपराध करने की योजना बनाते एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर इसके कब्जे से तलवार बरामद की। इस दौरान दो आरोपी फरार हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक महिपालसिंह के सुपरजिवन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह के नेतृत्व में एसआई महेशजोशी मय टीम ने गश्त के दौरान शुक्रवार रात में रेल्वे कॉलोनी क्षेत्र में बैइ कर अपराध करने की योजना बनाते बदमाशों के बैठे होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस दल को देख बदमाश भागने लगे। इस पर पुलिस ने घेरा डाल कर एक आरोपी आरोपी अयूबशाह पुत्र हसन शाह फकीर निवासी खडकजी का चौक खांजीपीर हॉल गोसिया कॉलोनी सूरजपोल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से तलवार बरामद की। आरोपी के खिलाफ करीब पच्चीस अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

विद्युतकर्मी की मौत

उदयपुर, (कासं)। विद्युत कार्य करते समय झुलसे संविदा विद्युतकर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई।सुखेर थाना क्षेत्र कैलाशपुरी विद्युत ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगने से झुलसे संविदा पर कार्यरत विद्युतकर्मी कैलाशपुरी निवासी रमेश पुत्र गेहरीलाल गमेती की एमवी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। रमेश विद्युत विभाग में ठेकेदार के पास का करता था एवं 21 मई को शिकायत होने पर अम्बेरी जीएसएस बंद कर कैलाशपुरी स्थित विद्युत ट्रासफार्मर पर काम कर रहा था। अचानक लाईन चालू होने से करंट लगने से वह झुलस गया था। जिसे साथी कर्मचारियों ने उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। इस मामले में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अनुरागसिंह ने विभाग में कार्यरत ठेकाकर्मी त्रिलोक पुत्र गोपीलाल मेघवाल के खिलाफ विद्युत लाईन चालू करने से करंट लगने पर रमेश के झुलने का प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले में एएसआई केसरसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

सूने मकान से जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। भुपालपुरा थाना क्षैत्र में सूने मकान का चोर ताला तोड़ कर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित महेश वया पुत्र संपतलाल निवासी पाठों की मगरी सेवाश्रम चोराहा केनरा बैंक के पास ने भूपालपुरा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बतायाा कि 30 अप्रेल को मकान पर ताला लग कर परिजनों को लेकर कानोड़ शादी समारोह में गया था। वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। इस पर तलाशी ली तो 3 सोने की अंगुठियां, नेकलेस, चांदी की पायल, बीछियां 3 एवं 95 हजार रूपये नकदी गायब थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक जब्त

उदयपुर, (कासं)। झाड़ोल थाना पुलिस ने हाइवे पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्यवाहीकरते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन बाईक जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपालसिंह के सुपरविजन में झाड़ोल थानाधिकारी फैलीराम के नेतृत्व में गठित दल ने हाइवे पर बाईक से स्टंट करते सुन्दर पुत्र शांतिलाल निवासी पालीया खेड़ा वाघपुरा, जयपाल पुत्र सवजी निवासी पालीया खेड़ा वाघपुरा तथा किशन पुत्र गणेशलाल निवासी पालीयाखेड़ा वाघपुरा को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से तीन बाइक बरामद की।

कलक्टर ने लू प्रबंधन, पेयजल व सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर नमित मेहता ने शनिवार को संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था के साथ लू प्रबंधन के तहत की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

जिला कलक्टर नमित मेहता तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ शनिवार दोपहर एमबी अस्पताल पहुंचे। जिला कलक्टर ने अस्पताल के मेडिसिन, अस्थि रोग

- मरीजों व परिजनों के लिए पेयजल के पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश

महाराणा भूपाल अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित करते जिला कलक्टर नमित मेहता।

विभाग वार्ड, आपातकालीन इकाइ, ओपीडी आदि का दौरा कर मरीजों और परिजनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से अस्पताल में उपलबध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों के शौचालयों का भी अवलोकन कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल अधीक्षक डॉ आर एल सुमन ने अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही सफाई एवं लू प्रबंधन के तहत की गई व्यवस्थाओं से भी अवगतकराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी जगह उपलब्धता के आधार पर एसी, कूलर, पंखें चालू स्थिति में हैं तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होते ही उसका समाधान कराया जा रहा है। जिला कलक्टर ने अस्पताल में लगे वाटर कूलर, प्याउ आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने वार्डों, आउटडोर, लॉबी सहित अस्पताल के मुख्य परिसर में उद्यान आदि स्थलों परपेयजल के लिए कैम्पर्स रखवाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को भीषण गर्मी में शीतल पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।

जिला कलक्टर ने रेडियोलॉजी विभाग का भी दौरा किया। वहां उन्होंने सोनोग्राफी, एमआरआई जैसी सुविधाओं तथा इसके लिए वेटिंग के बारे में जानकारी ली। जिला कलक्टर ने एमआरआईविंग का अवलोकन किया। अस्पताल अधीक्षक डॉ सुमन ने बताया कि एमबी अस्पताल में राजस्थानके राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सर्वाधिक अत्याधुनिक एमआरआई सुविधा उपलब्ध है। जिला कलक्टर ने अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होने पर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

उदयपुर रेजिडेंट एसोसिएशन के चुनाव आज

उदयपुर, (कासं)। रविंद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज एवं महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए रविवार को मतदान होगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. दीपक निनामा ने बताया कि चुनाव में करीब 700 रेजिडेंट चिकित्सक भाग लेंगे, जिसमे सभी विभागों के एमडीए एमएसए डीएम और एमसीएच अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान प्रकिया सुबह 8 बजे प्रारम्भ होगी और शाम पांच बजे तक मतदान चलेगा। मतदान में भाग लेने वाले रेजिडेंट 2022-23 एवं 2024 बैच के होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए डॉ.जतिन प्रजापति नेतृत्व में चुनाव आयोजन समिति का गठन किया गया है जिसमें 24 चिकिसक शामिल हैं। डॉ. कवि वर्मा की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया आयोजित होगी।

इस वर्ष एसोसिएशन के 4 पदों पर चुनाव होगें। जिसमें अध्यक्षए उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सयुक्त सचिव के पद शामिल है। रविवार को शाम पांच बजे तक चलने वाले मतदान के बाद शाम 7 बजे तक मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएगे। उसके बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों का वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉ. दीपक निनामा,महासचिव डॉ.जतिन प्रजापति एवं संयुक्त सचिव डॉ. नितेश गुर्जर पद ग्रहण करवाएंगे।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्रीमती संगीता देवी भाटिया पत्नी श्री महेश कुमार भाटिया** पर मांग सूचना दिनांक 15.02.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 15.02.2025 को बकाया राशि रू. 7,19,055.07 (रूपये सात लाख उन्नीस हजार पचपन एवं पैसे सात मात्र) (दिनांक 29.01.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए)** प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 29, माह अप्रेल, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 25.04.2025 को बकाया राशि रू. 7,28,906.07 (रूपये सात लाख अठाईस हजार नौ सौ छह एवं पैसे सात मात्र) (दिनांक 30.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए)** प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, डूँगरपुर शाखा** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती संगीता देवी भाटिया पत्नी श्री महेश कुमार भाटिया के नाम साम्यिक बंधक आवासीय प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 3974/2139 जो कृष्णा नगर, एनएच-8, मुख्य मार्ग से दुर अन्दर की ओर स्थित, राजस्व गाँव पलवाड़ा, डूँगरपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट है।
सीमाएं- उत्तर: रोड़ 30', दक्षिण: प्लॉट नं. 03, पूर्व: प्लॉट नं. 4-ए, पश्चिम: रोड़ 40'

हस्ता.
स्थान : डूँगरपुर (शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
दिनांक : 29.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक

स्वास्थ्य परीक्षण व जागरूकता सत्र का हुआ आयोजन

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली हॉस्पिटल, उदयपुर द्वारा स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ देश अभियान के तहत शनिवार,को यश पब्लिक स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल तथा एल.बी.एस. पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए गीतांजली हॉस्पिटल के बाल रोग, नेत्र एवं जीडीआरआई के दंत विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन गीतांजली हॉस्पिटल परिसर में किया गया।

गीतांजली में स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ देश अभियान का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर स्कूलों के प्रधानाचार्य हेमन्त लोहार, प्रकाश डांगी, गीरजा जाट, टीचर्स में लता, पंकज नागदा ,मीना, संगीता कंवर, खुशबू कंवर, सुरेश चंद्र कुमावत एवं सत्यनारायण जाट ने भाग लिया व सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा विद्यार्थियों को हाथों की स्वच्छता (हैंड हाइजीन) के 6 चरणों की जानकारी दी गई और उन्हें सही तरीके से हाथ धोने का अभ्यास कराया जिससे बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की जागरूकता बढ सके। गीतांजलि हॉस्पिटल की ओर से हेड मार्केटिंग कल्पेश चन्द रजबार द्वारा सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से उपरना पहनाकर स्वागत किया गया और भविष्य में भी बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति इसी तरह सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। संचालन पीआर हेड हरलीन गंभीर ने किया। यह आयोजन केवल स्वास्थ्य परीक्षण तक सीमित न होकर, बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। गीतांजलि हॉस्पिटल की यह मुहिम बच्चों के उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की ओर एक सशक्त पहल है इस मुहिम में सभी विद्यालय बढचढ कर भाग ले रहे हैं। आपको ज्ञात करा दें अभी तक सीपीएस, रोकवुड्स, डीपीएस, मिरांडा, सेंट लोरेट, डीएवी, रॉयल अकैडमी, प्रयास, एबीपीएस, सिशुभारती इत्यादि स्कूल के बच्चों का बाल रोग, नेत्र एवं दंत विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

खिलाड़ियों का अभिनंदन

उदयपुर, (कासं)। आगरा में 29 अप्रेल से 1 मई तक संपन्न हुई तीसरी राष्ट्रीय सीनियर महिला व पुरुष जूनियर व सब जूनियर बालक बालिका लेक्रोज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर लौटी राजस्थान टीम में शामिल उदयपुर के खिलाडियो का संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने अभिनंदन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रभुत्व जमाया। राजस्थान टीम ने एक सत्र की आधिकारिक छह प्रतियोगिताओं में गोल्डन पंच सीनियर महिला व पुरुष, जूनियर बालिका तथा सब जूनियर बालक व बालिका अन्य राज्यों की चुनौती को ध्वस्त कर स्वर्ण पदक तथा जूनियर बालक वर्ग में कांस्य पदक जीत सभी छह वर्गों में पदक हासिल कर इतिहास रचा है। खिलाडियों के उदयपुर पहुंचने पर खेल प्रमोटर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने टीआरआई छात्रावास में सम्मानित किया व मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्यके लिए शुभकामनाएं दी।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **स्व. श्री अमृत लाल रोत पुत्र श्री मोगा जी रोत (मृत्यु के बाद से) जरिये कानूनी वारिस श्रीमती संसार देवी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्री महेश रोत पुत्र स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्री प्रवीण रोत पुत्र स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्रीमती रेखा देवी पुत्री स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व. श्री अमृत लाल रोत, श्रीमती किरण देवी पुत्री स्व. श्री अमृत लाल रोत एवं सुश्री अनीता कुमारी पुत्री स्व. श्री अमृत लाल रोत एवं जमानतदार श्री रूप लाल रोत पुत्र श्री पन्ना लाल रोत** पर मांग सूचना दिनांक 04.02.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 04.02.2025 को बकाया राशि रू. 36,98,880.02 (रूपये छत्तीस लाख अठानवे हजार आठ सौ अस्सी एवं पैसे दो मात्र) (दिनांक 30.01.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 29, माह अप्रेल, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 25.04.2025 को बकाया राशि रू. 37,05,850.02 (रूपये सैंतीस लाख पांच हजार आठ सौ पचास एवं पैसे दो मात्र) (दिनांक 30.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, डूँगरपुर शाखा** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि स्व. श्री अमृत लाल रोत पुत्र श्री मोगा जी रोत के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो सर्वे नं. खसरा नं. 801/2, गाँव नवाडेरा, रतनपुर रोड़, डूँगरपुर, तहसील एवं जिला डूँगरपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 8732 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: मुख्य रोड़ (डूँगरपुर-रतनपुर), दक्षिण: श्री प्रभू लाल की भूमि, पूर्व: श्री कालू का मकान, पश्चिम: कच्चा रोड

हस्ता.
स्थान: डूँगरपुर (शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
दिनांक: 29.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक

दक शनिधाम आली पहुंचे

कपासन, (निसं)। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने आज कपासन दौरे पर पहुंचे। जहां मंत्री श्री शनि महाराज आली पहुंचे। मंत्री दोपहर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने श्री शनिदेव की पूजा-अर्चना की और तेल चढ़ाया। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर तीर्थ स्थल की प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी और पुजारियों ने मंत्री का स्वागत किया। कमेटी ने उन्हें श्री शनिदेव की तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम में कमेटी के मंत्री छगन गुर्जर, सचिव कालू सिंह और पुजारी देव गिरी उपस्थित रहे।

पिपड को लोसिंग पंचायत में यथावत रखने की मांग

उदयपुर, (कासं)। बडगांव पंचायत समिति के लोसिंग ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पिपड के ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई एग्रामीणों ने आपत्ति पत्र में जिला कलेक्टर को बताया महज राजनेतिक दुर्भावना के आधार पर किया जा रहा है।

ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि तहसीलदार बडगांव द्वारा राजनेतिक दबाव के चलते पिपड गांव को नवसृजित होने वाली करणजी का गुड़ा में मिलाने का प्रस्ताव कलेक्टर के यहां भेज दिया गया,जबकि पिपड गांव से इस गांव की दूरी 6 किमी से अधिक है एव इस गांव की भौगोलिक स्थिति भी इस गांव से लगती हुई नही है,जबकि वर्तमान में लोसिंग ग्राम पंचायत से जुड़े पिपड गांव की भौगोलिक सीमा भी लोसिंग ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है। मनरेगा से वर्तमान में प्रगतिरत सड़क जो खादरियो का भीलवाड़ा से घाटी का भीलवाड़ा पूर्ण होने से पिपड से लोसिंग पंचायत मुख्यालय की दूरी मात्र 2 किमी ही रह जायेगी।पिपड तालाब में स्थित ओपन वेल से लोसिंग ग्राम पंचायत के गांवों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसके साथ ही लोसिंग पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका उच्च प्रथमिक विद्यालय,पशु चिकित्सालय, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, सहायक कृषि विकास कार्यालय,कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, निजी विद्यालय, सहित रोजमर्री के सामान की दुकाने एव बाजार उपलब्ध है।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:उविप्र/नियमन रिकार्ड/2025/2442 दिनांक-1.5.2025

आम-सूचना

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम/पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1	3 (MUT No.10489)	2340	देवाली गोवर्धन विलास खसरा नं. 661	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता श्री एम.आर.श्रीवास्तव निवासी नाहरो की हवेली, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	श्रीमती ज्योति पत्नी श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2024 को हो जाने पर उनके वारिसानों द्वारा किए गए पंजीकर्त परित्याग पत्र दिनांक 24.03.2025 के आधार पर नामान्तरणचाहा गया है।
2	4 (MUT No.10493)	2555	देवाली गोवर्धन विलास खसरा नं. 661	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता श्री एम.आर.श्रीवास्तव निवासी नाहरो की हवेली, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	श्रीमती ज्योति पत्नी श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2024 को हो जाने पर उनके वारिसानों द्वारा किए गए पंजीकर्त परित्याग पत्र दिनांक 24.03.2025 के आधार पर नामान्तरणचाहा गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/ एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र उपरोक्तानुसार आवेदकों के नाम पर जारी कर दिया जावेगा।

डॉ. अभिनव शर्मा, तहसीलदार
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

राजस्थान विद्यापीठ में मेडिको-लीगल कांफ्रेंस आयोजित

राजस्थान विद्यापीठ में मेडिको-लीगल कांफ्रेंस का आयोजन हुआ।

उदयपुर, (कासं)। पैनेसिया मेडिको लीगल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस-2025 का आयोजन 3 और 4 मई को विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ। इस दौरान चिकित्सा और विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से विभिन्न सत्रों में प्रतिभाग किया और चिकित्सकों व विधि छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से अवगत कराया।

कॉन्फ्रेंस का विशेष सत्र उदयपुर की डीएसपी डॉ. चेतना भाटी का रहा, जिसमें उन्होंने पुलिस व विधिक प्रक्रियाओं के बीच समन्वय, केस डीलिंग की बारीकियां तथा थाने स्तर पर होने वाली पूछताछ प्रक्रिया को लाइव डेमो और चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनका यह सत्र विशेष रूप से विधि के विद्याथिर्यों और नव प्रशिक्षु चिकित्सकों के लिए अत्यंत लाभप्रद रहा। कोर्स कोऑर्डिनेटर इशिता गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिको लीगल सर्विसेज कोर्स की भी औपचारिक घोषणा की गई। यह कोर्स उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला डिप्लोमा कार्यक्रम होगा, जो चिकित्सा और विधि के संगम क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स के निदेशक मंडल में डॉ. सुशील गुप्ता, डॉ. हितेश भट्ट एवं डॉ. गीतेन्द्र शर्मा सम्मिलित हैं। कोर्स का मार्गदर्शन दिल्ली के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता डॉ. सुशील सत्रावला द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत के नेतृत्व में यह डिप्लोमा कोर्स राजस्थान विद्यापीठ से संचालित होगा।

कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने फॉरेंसिक जांच, मूक कोर्ट , डॉक्यूमेंटेशन, कोर्ट में गवाही, मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेखन सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में चिकित्सक, अधिवक्ता, विधि छात्र, मेडिकल अधिकारी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से राजस्थान विद्यापीठ के कुल सचिव डॉ तरूण श्रीमाली, परीक्षा नियंत्रक डॉ पारस जैन आइक्यूएसी निदेशक डॉ युवराज सिंह, विधि महाविद्यालय के प्रचार्य प्रो कला मुनेत, विधि छात्र व विभिन्न संकाय सदस्य आदि की विशेष रूप से सहभागिता रही।

230 विद्यालयों में 8 करोड़ की लागत से बनेंगे आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक

राजसमंद, (निसं)। डीएमएफ्टी प्रबन्धन समिति की शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागर में बैठक का आयोजन जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में हुआ।

जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में प्रशासन द्वारा जिले में सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित हर क्षेत्र में निरंतर अधिकतम कल्याणकारी कार्य पूर्ण किए जाकर आमजन को राहत प्रदान की जा रही हैं। जब प्रशासन के समक्ष बार-बार यह समस्या आई कि जिले के ऐसे कई विद्यालय हैं जहां छात्र-छात्राओं के लिए बने शौचालयों की हालत खस्ता है तो स्वच्छ राजसमंद-स्वस्थ राजसमंद के तहत 230 विद्यालयों में नवीन टॉयलेट ब्लॉक निर्माण की कार्य योजना बनाई गई, जिसे डीएमएफ्टी गवर्निंग काउंसिल द्वारा दिसंबर माह में हुई बैठक में अनुमोदित किया था। अनुमोदन के बाद पीडबल्यूडी ने इन प्रस्तावित नए और शानदार टॉइलेट ब्लॉक का मॉडल तैयार करवाया और शनिवार को डीएमएफ्टी की प्रबन्धन समिति की बैठक के बाद कलक्टर के स्तर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो गई जिससे यहां अध्ययनरत बच्चों को बडी राहत मिलेगी। इस कार्य का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग, समग्र शिक्षा अभियान एवं पंचायती राज विभाग द्वारा डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफ्टी) मद से कराया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक ब्लॉक बनाए जाएंगे। जल्द ही ये टॉयलेट ब्लॉक तैयार होंगे, जिससे बच्चों को राहत मिलेगी। बैठक में ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की 16वीं बैठक (19 दिसम्बर 2०24) में अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों को प्रस्तुत करते हुए शीघ्र वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश जिला कलक्टर द्वारा प्रदान किए गए। कलक्टर ने कहा कि समस्त प्रगतिरत कार्य अब जल्द से जल्द पूर्ण होकर जनता को सुपुर्द किए जाएं। उन्होंने पेयजल संबंधी सभी विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफ्टी के तहत जारी निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलक्टर ने कहा कि सभी स्वीकृत कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू कर दिए जाएं। कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग हो तथा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इस दौरान भवानी माता पहाडी प्लांटेशन और 1०० फीट रोड का प्लांटेशन के कार्य इसी महीने शुरू करने के निर्देश दिए। गवर्निंग काउंसिल की माह दिसंबर में हुई अंतिम बैठक में लगभग 456 करोड की लागत में 768 कार्यों को अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित नवीन कार्यों की स्वीकृतियां जल्द से जल्द जारी कर धरातल पर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उप वन संरक्षक कस्तुरी प्रशांत सुले, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, जिला कोषाधिकारी विशाल अग्रवाल, खनिज अभियंता प्रथम जिनेश हुम्मड, सीएमएचओ डॉ हेमंत बिंदल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेंद्र गग्गड, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नूतन प्रकाश जोशी आदि मौजूद रहे।

कलेक्ट्रेट सभागर में आयोजित डीएमएफ्टी प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा।

कार्यालय नगर पालिका कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.क./भूमि/2025-26/338 दिनांक : 2/5/2025

-: लोक सूचना:-

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदारों द्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

क्र. सं.	नाम आवेदन/ खातेदार	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र.
1.	श्री जाकिर हुसैन पिता श्री मोहम्मद इस्माईल, श्री तालिब हुसैन पिता श्री जाकिर हुसैन, श्री मोहम्मद युनूस पिता श्री अब्दुल रहमान, श्रीमती शाहजहां बेगम पत्नी श्री जाकिर हुसैन एवं श्री सैयद अशफाक अली पिता श्री सैयद मोहम्मद अली, निवासी-कपासन	तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़	कपासन	आराजी नं. 7272/ 5362 रकबा 0.72 हैक्टेयर	आराजी नं.7272/ 5362 रकबा 0.72 हैक्टेयर आवासीय प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस लोक सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 2-5-2025 को जारी की गई।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी)
नगर पालिका,कपासन

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
अधोहस्ताक्षरकर्ता **श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा** ने **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री भरत सिंह परमार पुत्र श्री गोपाल सिंह परमार एवं मैसर्स प्रिन्स बैट्री हाऊस प्रोपराईटर श्री भरत सिंह परमार पुत्र श्री गोपाल सिंह परमार एवं जमानतदार श्री गंभीर सिंह चौहान पुत्र श्री भोपाल सिंह चौहान, श्री भैरू सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह एवं श्री दिग विजय सिंह परमार पुत्र श्री भरत सिंह परमार** पर मांग सूचना दिनांक 15.02.2025 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 31.01.2025 को बकाया राशि रू. 31,09,139.32 (रूपये इकतीस लाख नौ हजार एक सौ उनतालीस एवं पैसे बतीस मात्र) प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 29, माह अप्रेल, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।
कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 25.04.2025 को बकाया राशि रू. 31,61,035.42 (रूपये इकतीस लाख इकसठ हजार पैंतीस एवं पैसे बयालीस मात्र) (दिनांक 30.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) प्लस आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, डूँगरपुर शाखा** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति 1- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री भरत सिंह परमार पुत्र श्री गोपाल सिंह परमार के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. एच-18 का भाग जो गाँव अशोक नगर, आरएचबी डूँगरपुर, तहसील एवं जिला डूँगरपुर, राजस्थान 314001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 52.08 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**- उत्तर: आरएचबी भूमि, दक्षिण: रोड़, पूर्व: आरएचबी भूमि, पश्चिम: भरत सिंह का मकान नं. एच-18 एवं मकान नं. एच-17
सम्पत्ति 2- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री भरत सिंह परमार पुत्र श्री गोपाल सिंह परमार के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान नं. एच-18 (ईडब्ल्यूएस) जो अशोक नगर (पूर्ववर्ती शिवाजी नगर), हाउसिंग बोर्ड, डूँगरपुर, राजस्थान 314001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 49.56 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**- उत्तर: हाउसिंग बोर्ड भूमि, दक्षिण: कॉलोनी रोड़, पूर्व: हाउसिंग बोर्ड प्लॉट, पश्चिम: मकान नं. एच-17

हस्ता.
स्थान : डूँगरपुर (शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
दिनांक : 29.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक